संख्या– 55 / XXXIV-2/2022/04/2021

प्रेषक,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झाझरा, देहरादून।

2– निदेशक,
उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र,
नालापानी रोड, आमवाला, देहरादून।

3– निदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, ई0सी0 रोड,
देहरादून।

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉक 26 अप्रैल, 2022

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु बचनबद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–236/XXVII(1)/2022/9(150)2019, दिनांक–04.04.2022 के कम में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–23 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्थाओं को विभिन्न बचनबद्ध मदों में संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 6,96,39,000/–(रू0 छः करोड़ छियानबे लाख उन्तालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार आहरण/व्यय किए जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक–28 मार्च, 2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अधीन सॉफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करने पर ही धनराशि का आहरण एवं व्यय की जाय।
2. मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधनित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर, बचत सुनिश्चित की जाय।
3. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जायेगी और न ही व्ययभार सृजित किया जायेगा।
4. बजट नियंत्रण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक से सम्बन्धित नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में व्यय की प्रतिमाह दिनांक 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
7. धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा मानक मद–01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः

क्रमशः–2

वर्जित है।

8. स्वीकृत धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासन को समर्पित किया जायेगा।
9. वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो तो तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय।
10. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
11. बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जाय।
12. इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी, जिसके नमूना हस्ताक्षर कोषागार में प्रचलित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशियां जारी की जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नही किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
13. किसी योजना में धनराशि पी0एल0ए0 में जमा की गयी हो तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय किया जाय तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जाय।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट–01 में उल्लिखित लेखाशीर्षक/विवरणानुसार सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
15. यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–236/XXVII(1)/2022/9(150)2019, दिनांक–04.04.2022 में प्रदत्त अधिकार/दिशा–निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– (1)XXXIV-2/2022/04/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. बजट अधिकारी साईवर कोषागार, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव